

\*प्रेस नोट\*

\*जनपद – संतकबीरनगर\*

\*दिनांक 15.12.2025\*

### दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में थाना बखिरा पुलिस द्वारा वारण्टी नाम पता मालती देवी उर्फ सम्भा पत्नी खरभान निवासी चिरैयाड़ थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री विनोद राय, कां0 अंगद यादव, म0का0 अनामिका सिंह।

### \*शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 13 अभियुक्त गिरफ्तार\*

- ❖ \*थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा\* 170/126/135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ❖ \*थाना धनधटा पुलिस द्वारा\* 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ❖ \*थाना महुली पुलिस द्वारा\* 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- ❖ \*थाना बखिरा पुलिस द्वारा\* 170/126/135 बीएनएसएस में 06 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

### मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 204 वाहनों से 2,52,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 15.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 204 वाहनों से 2,52,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

### \*थाना महुली पुलिस टीम द्वारा गुम हुए बालक को बरामद कर, परिजनों को किया गया सुपुर्द\*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री सुशील कुमार सिंह\* के मार्गदर्शन, क्षेत्राधिकारी धनधटा \*श्री प्रियम राजशेखर\* के पर्यवेक्षण में \*थाना महुली पुलिस\* द्वारा कार्यवाही करते हुए गुम हुए बालक नाम पता कृष्ण मौर्या पुत्र घनश्याम मौर्या निवासी डिहवा थाना महुली जिला संतकबीरनगर उम्र 12 वर्ष को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रान्तर्गत खलीलाबाद रोड के पास से सकुशल बरामद करते हुए उनके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

\*घटना का विवरण - \* आज दिनांक 15.12.2025 को थाना महुली पर घनश्याम मौर्या पुत्र गोमती प्रसाद मौर्या निवासी डिहवा थाना महुली आकर बताया कि मेरा लड़का मिल गया है जो दिनांक 10.12.2025 को सुबह 8 बजे बिना किसी बताये कहीं चला गया, कहीं गुम हो गया। उक्त सूचना के आधार पर थाना महुली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही कर उक्त बालक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया।

\*बरामद करने वाली पुलिस टीम-\* उ0नि0 श्री सोमनाथ मिश्रा।

\*“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त को धारा- 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में जेल में बितायी अवधि व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से किया गया दण्डित\*

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर \*श्री संदीप कुमार मीना\* के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनांक 15.12.2025 को \*माननीय न्यायालय सीजेएम संतकबीरनगर न्यायाधीश द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये का अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**विवरण:-**

मु0अ0सं0 1709/2005 धारा-4/25 आयुष अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर से संबंधित अभियुक्त महेंद्र जैसवाल पुत्र अर्जुन जैसवाल निवासी सरौली थाना खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को धारा- 4/25 आयुध अधिनियम के अपराध में जेल में बितायी गयी अवधि व 2000 रुपये का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर 10 दिवस का साधारण कारावास से भुगतना होगा।

**अभियुक्त :-** वहाव उर्फ अब्दुल वहाव पुत्र अब्दुल जब्बार उर्फ जव्वार निवासी ग्राम बल्डहा नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

**आपराधिक इतिहास:-** 01- मु0अ0सं0 001/2016 धारा 3/5 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर।

02- मु0अ0सं0- 001/2016 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर।

03- मु0अ0सं0- 159/2019 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना पटहेरवा जनपद कुशीनगर।

04- मु0अ0सं0- 174/2020 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना दुबौलिया जनपद बस्ती।

05- मु0अ0सं0- 212/2024 धारा 307 भादवि, धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, धारा 3/4/25/27 आर्स एक्ट थाना तरयासूजान जनपद कुशीनगर।

06- मु0अ0सं0- 275/2019 धारा 303(2) बीएनएस तरया जनपद आजमगढ़।

अब्दुल बहाव उर्फ बहाव पुत्र अब्दुल जब्बार उर्फ जब्बार निवासी बेलडीहा नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर उम्र 38 वर्ष लगभग।

एचएस सं0- 98A

वर्तमान समय में घर से फरार है।